-07-

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद – 24/2021

उरसा खानम बनाम राज्य एवं मुनाजिर अली खान वगैरह

[आ]देश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
22-03-2022	यह वाद अपीलार्थी उरसा खानम पति मजहर आलम ग्राम चितरपुर थाना चितरपुर जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 15/2019–20 उरसा खानम बनाम अंचल अधिकारी, चितरपुर में दिनांक 11.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Mutation Law के तहत प्रारम्भ किया गया। द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख की मांग की गई। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा चितरपुर थाना न0 147 थाना रजरप्पा जिला रामगढ के खाता न0 03 प्लॉट न0 592 कुल रकवा 0.45 ए0 भूमि से संबंधित है। प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि को जमाबंदी रैयत उपेन्द्र पाण्डेय के पुत्र भोला पाण्डेय के द्वारा केवाला संख्या 1241 दिनांक 26.08.2019 द्वारा खरीदगी के आधार पर दावा करते है। जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या 268 R27/2019–20 में दिनांक 29.01.2020 को अंचल अधिकारी, चितरपुर	

Sd/-

द्वारा दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया गया है। जिसपर अंचल अधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि पंजी ।। में उपेन्द्र पाण्डे, सुलेन्द्र पाण्डे, पिता स्व0 बाल मुकुन्द पाण्डे के नाम से जमाबंदी कायम है एवं भूमि की बिक्री सिर्फ भोला पाण्डे पिता स्व0 उपेन्द्र पाण्डे द्वारा किया गया है, अन्य जमाबंदी धारक अथवा उनके उतराधिकारी की भूमि बिक्री में सहमत है या नही या अस्पष्ट है। अतः नामांतरण के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा एवं कागजातों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के बावत IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (Sr. Division) 1st RAMGARH में वाद संख्या 89/2004 लंबित है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का प्रभावकारी आदेश पारित करना उचित नही है। सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 15/2019–20 उरसा खानम बनाम अंचल अधिकारी, चितरपुर में दिनांक 11.02.2021 को पारित आदेश का समर्थन किया है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के पश्चात् एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से सहमत होते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 15/2019–20 उरसा खानम बनाम अंचल अधिकारी, चितरपुर में दिनांक 11.02.2021 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दिये गये आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

उपर्युक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
22.3.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
22.3.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.08.08 12:40:04 +05:30
Location: 192.168.0.34